न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 213/2019

अनवान

1 रोशनलाल पुत्र हेमराज जाति खाती निवासी राखी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

2 बुधराम पुत्र हेमराज जाति खाती निवासी राखी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। – वादीगण

बनाम

1 हेमराज पुत्र जैसाराम जाति खाती निवासी राखी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

2 ईश्वरप्रसाद पुत्र हेमराज जाति खाती निवासी राखी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

3 बिमला पुत्री हेमराज जाति खाती निवासी राखी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

4 इन्द्रा पुत्री हेमराज जाति खाती निवासी राखी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणाात्मक एंव रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 8 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : श्री मुन्शीराम गोस्वामी एडवोकेट : वादी

श्री सुरेन्द्र मील एडवोकेट प्रतिवादीगण

निर्णय दिनाक : 11-3-2020

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा राखी के खाता सं0 122/116 के खसरा सं0 100 की 3.617 हैक्टेयर खसरा सं0 106/2 की 3.149 हैक्टेयर खसरा सं0 112 की 0.607 हैक्टैयर खसरा सं0 113/1 [illegible] हैक्टेयर खसरा सं0 209 की 1.581 हैक्टेयर खसरा सं0 211 [illegible] 1.126 हैक्टेयर कुल किता 6 की 10.516 हैक्टेयर [illegible] खातेदारी प्रतिवादी हेमराज के नाम से खातेदारी दर्ज है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि वादीगण के दादा जैसाराम की खातेदारी हुआ करती थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

इसलिये वादभूमि मे वादीगण का जन्म से हक एंव अधिकार है। वादभूमि की बावत वादीगण व प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमे प्रतिवादीगण सं0 1, 3 व 4 ने वादभूमि मे अपना जो हक हिस्सा था वह वादीगण एंव प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद के पक्ष मे तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया था जिस पर कुल वादभूमि जो प्रतिवादी हेमराज के नाम से खातेदारी दर्ज है, वह वादीगण एंव प्रतिवादी ईश्वरप्रसाद को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई , परन्तु रिकार्ड माल मे कुल वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी हेमराज के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पडता है, वादभूमि मे वादीगण के अधिकारों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने अपनी तरफ से हाजिर अदालत आकर वादीगण के साथ राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 स्टेट को तर्क किया गया। प्रतिवादीगण के द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर कोई विवाधक बनने नही पाये गये।

साक्ष्य वादी मे पी डब्लु – 1 रोशनलाल के बयान करवाये गये एंव दस्तावेजी साक्ष्य मे वादभूमि की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत सम्वत 2072 ता 2075 प्रदर्श 1 दादालाई जमाबन्दी सम्वत 2008 प्रदर्श 2 तथा सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श – 3 प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य वादी समाप्त करने के उपरान्त बहस वकील वादीगण एंव प्रतिवादीगण सुनी गई।

दोराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमे वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का जन्म से हक एंव अधिकार है। वादीगण के दावा [illegible] प्रतिवादी पक्ष के

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

द्वारा कोई खण्डन नही किया गया है तथा राजीनामा पेश किया गया है एंव वाद वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है, इसलिये वाद वादीगण डिक्री किया जावे।

बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली मे पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसमे वादभूमि जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है वह उसे अपने पिता से विरासतन मे मिली होना साबित है तथा पत्रावली मे पेश सदस्य प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 जो कि वादीगण की सगी बहने है व प्रतिवादी सं0 1 वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 2 का पिता है, जिन्होने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष मे छोडने का कथन किया है जिस पर कुल वादभूमि छः भागों मे थी जिसमे से वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 को पने पिता प्रतिवादी सं0 1 व बहने प्रतिवादी सं0 3 व 4 वाली भूमि मिलने पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 को कुल वादभूमि बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हुई है । सदस्य प्रमाण पत्र के आधार पर वादीगण एंव प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई पुत्र पुत्री नही है। इस प्रकार वादीगण अपने दावा को साबित करने मे सफल रहे है।

अत : वाद वादीगण डिक्री किया जाकर यह घोषणा की जाती है कि रोही मोजा राखी के खाता सं0 122/116 के खसरा सं0 100 की 3.617 हैक्टेयर खसरा सं0 106/2 की 3.149 हैक्टेयर खसरा सं0 112 की 0.607 हैक्टैयर खसरा सं0 113/1 की 0.430 हैक्टेयर खसरा सं0 [illegible] की 1.581 हैक्टेयर खसरा सं0 211 की 1.126 हैक्टेयर कुल 6 कि0 10.510 हैक्टैयर बारानी खातेदारी की प्रतिवादी हेमराज के नाम से खातेदारी दर्ज है, उसमे वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 ईश्वरप्रसाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकारहै। चूँकि प्रतिवादी सं0 1, 3 व 4 ने वादभूमि मे अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष मे त्याग दिया है, इसलिये त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि वादभूमि किसी बैंक आदि के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादभूमि मे प्रतिवादी सं0 1 हेमराज का नाम कलमजन कर वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनाक 11-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) आदरा

आर ए एस

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 813/2019

अनवान

1 रोशनलाल पुत्र हेमराज जाति खाती निवासी राखी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

2 बुधराम पुत्र हेमराज जाति खाती निवासी राखी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ। — वादीगण

बनाम

1 हेमराज पुत्र जैसाराम जाति खाती निवासी राखी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

2 ईश्वरप्रसाद पुत्र हेमराज जाति खाती निवासी राखी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

3 बिमला पुत्री हेमराज जाति खाती निवासी राखी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

4 इन्द्रा पुत्री हेमराज जाति खाती निवासी राखी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एंव वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र मील की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा यह घोषणा की जाती है कि मोजा राखी के खाता सं0 122/116 के खसरा सं0 100 की 3.617 हैक्टेयर खसरा सं0 106/2 की 3.149 हैक्टेयर खसरा सं0 112 की 0.607 हैक्टैयर खसरा सं0 113/1 की 0.430 हैक्टेयर खसरा [illegible] की 1.581 हैक्टेयर खसरा सं0 211 की 1.126 हैक्टेयर कुल [illegible] 6 की 10.510 हैक्टैयर बारानी खातेदारी जो प्रतिवादी हेमराज के नाम से खातेदारी दर्ज है, उसमे वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 ईश्वरप्रसाद

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रोशनलाल आदि बनाम हेमराज आदि

बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूँकि वादभूमि मे प्रतिवादीगण सं0 1, 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 2 ईश्वरप्रसाद के पक्ष मे त्याग किया है, इसलिये त्याग किये गये हिस्सा पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयुटी अदा करने व यदि वादभूमि किसी बैंक आदि के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण रोशनलाल व बुधराम तथा प्रतिवादी सं0 2 ईश्वरप्रसाद के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनाक 11-3-20 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारेठ)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
आर ए एस
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:43:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner